वार्षिक प्रतिवेदन 2006–2007
कार्य प्रतिवेदन 2007–2008
वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची

1. झारखण्ड राज्य में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल 23605 वर्ग कि0मी0 है । राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 29.61 प्रतिशत भू–भाग पर वनों का विस्तार है । राज्य के वनों का वर्गीकरण निम्नवत है :–

		क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)
क)	आरक्षित वन ;त्मेमतअमक थ्वतमेजद्ध–	4387.00
ख)	सुरक्षित वन ;च्तवजमबजमक थ्वतमेजद्ध–	19185.00
ग)	अवर्गीकृत वन ;न्दबसेंपपिमक थ्वतमेजद्ध–	33.00
		23605.00

2. योजना आयोग, भारत सरकार ने वर्ड्ढ 2007 तक 25 प्रतिशत भू–भाग को वनों से एवं 2012 तक 33 प्रतिशत भू–भाग को वनों एवं वृक्षों से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है । वर्तमान में राज्य में वनों तथा वृक्षों से आच्छादित भूमि की स्थिति निम्नवत है :–

			क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)
1–	घने वनों का क्षेत्रफल (घनत्व 70 प्रतिशत से अधिक)	–	2544.00
2–	अंशतः घने वनों का क्षेत्रफल (घनत्व 70 प्रतिशत से कम एवं 40 प्रतिशत से अधिक)	–	9137.00
3	खुले वनों का क्षेत्रफल (घनत्व 40 प्रतिशत से कम)		11035.00
	योगः–	–	**22716.00**
4	वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र	–	27728.00

(श्रोत– भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2003)

इस प्रकार वर्त्तमान में राज्य का 28.50 प्रतिशत भू–भाग वनों से एवं 34.78 प्रतिशत भू–भाग वनों एवं वृक्षों से अच्छादित है ।

3. वर्ष 2003 में किये गये सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि राज्य में 2001 की तुलना में 79 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वनावरण की वृद्धि हुई है ।

4. विभाग के निर्णय मंत्री, वन एवं पर्यावरण के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये जाते हैं । इस विभाग के प्रबंधन का दायित्व सचिव, वन एवं पर्यावरण, के अतिरिक्त भारतीय वन सेवा संवर्ग के पदाधिकारी, राज्य वन सेवा संवर्ग के पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, परिसर पदाधिकारी एवं उप परिसर पदाधिकारियों का है । राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत झारखण्ड के लिए भा0व0से0 संवर्ग के कुल 130 संवर्गीय पदो का निर्धारण भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 827 ई0, दिनांक 21.10.2000 द्वारा किया गया है । नवम्बर 2000 में भा0व0से0 संवर्ग के झारखण्ड कैडर के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया । वनों के प्रबंधन

एवं सुरक्षा तथा विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन **1** प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्ढ्ढद, **1** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, **3** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, **13** मुख्य वन संरक्षक, **34** वन संरक्षक, **77** वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं **156** सहायक वन संरक्षक के पद हैं तथा क्षेत्रीय स्तर पर **383** वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, **1052** वनपाल एवं **3330** वनरक्षी के पद स्वीकृत हैं।

5. वनों के बेहतर प्रबन्धन के उद्देश्य से राज्य में 30 प्रादेशिक प्रमण्डलों, 4 वन्य प्राणी प्रमण्डलों, 5 वनरोपण प्रमण्डलों एवं 10 सामाजिक वानिकी प्रमण्डलों के माध्यम से वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रबंधन, संवर्द्धन एवं विकास का कार्य किया जा रहा है।

6. वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में जन–सहभागिता को व्यापक आधार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित संकल्प दिनांक– 27 सितम्बर– 2001 को निर्गत किया था । जारी किये गये संकल्प के आलोक में अबतक राज्य में 10903 वन समितियां गठित की गयी हैं । गठित समितियां राज्य के 21860.66 वर्ग कि0मी0 वन क्षेत्र मे कार्यरत हैं। सरकार के संकल्प संख्या– 4027 दिनांक– 18.08.06 द्वारा 7 सितम्बर 2001 में निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन किया गया है । इसमें वनरोपण कार्यों के लिए राशि संयुत्त वन प्रबंधन/ इको विकास समितियों को देने का प्रावधान है ।

7. राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में राज्य के 30 प्रादेशिक वन प्रमण्डलों तथा 4 वन्य प्राणी प्रमण्डलों में वन विकास अभिकरण गठित एवं निबंधित किए गए हैं । राष्ट्रीय वानिकी एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 30 वन विकास अभिकरणों के लिए 56.319 करोड़ रु0 का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे 39850 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना है । सितम्बर– 2006 तक विभाग को 32.622 करोड़ रु० प्राप्त हो चुका है । जिसके विरूद्ध सितम्बर– 2006 तक 30.438 करोड़ रु० व्यय किया गया है तथा 30773.026 हे0 क्षेत्र में वनरोपण किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम 1000 समितियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2006–07 तक राज्य सरकार द्वारा वन विकास अभिकरणों के माध्यम से 49975.00 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए 101.918 करोड़ रु0 का प्रस्ताव राष्ट्रीय वानिकी एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड को समर्पित किया है । जिसके विरूद्ध वर्ष 2006–07 के लिए 15175 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य की स्वीकृति अंतिम चरण में है ।

8. विभाग के लिए वित्तीय वर्ढ्ढ 2002–03 में 8500 लाख रू०, वर्ढ्ढ 2003–04 में 9000 लाख रू०, वर्ष 2004–05 में 10700.00 लाख रू० एवं 2005–06 में 10100 लाख रू० का बजट उपबंध स्वीकृत था । स्वीकृत बजट उपबंध के विरूद्ध इन वर्षो में क्रमशः 8329.822 लाख रू० (97.99:), 8094.011 लाख रू० (89.93:), 9604.766 लाख रू० (89.76:) एवं 8786.174 लाख रू० (86.99:)की वित्तीय उपलब्धि हुई । वर्ढ्ढ 2006–07 में योजनामद में कुल 11500.00 लाख रू० का बजट उपबंध स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर– 2006 तक 4208.123 लाख रू० की वित्तीय उपलब्धि (36.59:) हुई है ।

9. ग्रामों के विकास एवं ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी वृक्षारोपण की योजनाओं में इंटरफेस कार्यों का समावेश किया गया है । इसके अन्तर्गत वन समितियों की सहमति से वित्तीय वर्ष 2005–06 तक इन्टरफेस कार्यों के अन्तर्गत 650 तालाब, 531 चापाकल, 142 कुओं, 10 जलमीनार, 279 चेकडैम, 129 माइक्रोलिफ्ट, 24 स्प्रिंकलर, 40 विद्यालय भवन/सामुदायिक भवन, 15 यात्री शेड, 17 घाट, 364 चबूतरों का निर्माण, 59 पीने के पानी का चबूतरा एवं 8.5 कि0मी0 ग्राम पथ का निर्माण किया गया हैं । इसके अतिरिक्त 162 तालाब, 19 चेकडैम एवं 88 कुओं का जीर्णोद्धार तथा 506 डीजल पम्प/ हैन्ड सेट/ पैडलसेट, 141 पत्तल–प्लेट मशीन/ सिलाई मशीन, 1547 सोलर लैम्प/स्ट्रीट लाईट, 632 वाटर फिल्टर, 10 जेनेरेटर एवं 81969 फलदार पौधों का वितरण किया गया है ।

10. वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धि पर नीचे की कंडिकाओं में चर्चा की गई है :–

10.1– अवकृष्ट वनों का पुनर्वास :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)		
	सम्पोङ्क्षण	समापन	अग्रिम
3241.907	41784.147	16707.504	11362.996

इस योजना के तहत् अवकृष्ट वनों की दशा सुधारने का कार्य किया जाता है। वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जड़ तत्वों (त्ववज ैजवबो) की सफाई तथा रिक्त भूमि में वृक्षारोपण कर वनों का पुनर्वास किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध 41784.147 हे0 में सम्पोङ्क्षण, 16707.504 हे0 में समापन एवं 11362.996 हे0 में अग्रिम कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर– 06 तक 1950.214 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.2– शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)		
	सम्पोङ्क्षण	समापन	अग्रिम
1255.297	13781.557	2098.92	2961.192

ऐसे वन क्षेत्र, जो बिल्कुल वृक्ष विहीन हो चुके हैं, में इस योजना के तहत् वृक्षारोपण किया जाता है । वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 13781.557 हे0 में सम्पोङ्क्षण कार्य, 2098.92 हे0 में समापन कार्य एवं 2961.192 हे0 में अग्रिम कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर – 06 तक 775.07 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.3– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी :–

वित्तीय लक्ष्य (रू0 लाख में)	भौतिक लक्ष्य		
1174.67	सम्पोषण	समापन	अग्रिम
	कद्ध स्थायी पौधशाला :– 240.368 हे०	शून्य	शून्य

	खद्ध रैखिक वनरोपणः– 12.5 कि०मी०	शून्य	शून्य
	गद्ध गैबियन वनरोपणः– 23749	2372	शून्य
	घ) रांची के आस–पास पहाड़ियों, राष्ट्रीय तथा राजकीय पथों के दोनों ओर पहाड़ियों को हरा–भरा करना, घोड़ाबंदा में थीमपार्क तथा दुमका में पार्क की स्थापना का प्रथम वर्ष का कार्य ।		

इस योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं :–

क) 240.368 हे० स्थायी पौधशालाओं के रख–रखाव का कार्य प्रगति पर है । इन पौधशालाओं में काष्ट तथा फलदार पौधों की विभिन्न प्रजातियॉ उपलब्ध है । इन पौधशालाओं से प्रति वर्ष 2.40368 करोड़ पौधे उपलब्ध होते हैं और इन पौधों का उपयोग जनसामान्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में तथा वनीकरण की योजनाओं में किया जायेगा ।

ख) कुल 12.5 कि0मी0 रैखिक वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य प्रगति पर है ।

ग) 23749 गैबियन वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य एवं 2372 गैबियन वृक्षारोपण का समापन कार्य प्रगति पर है ।

घ) रांची के आस–पास पहाड़ियों, राष्ट्रीय तथा राजकीय पथों के दोनों ओर पहाड़ियों को हरा–भरा करना, घोड़ाबंदा में थीमपार्क तथा दुमका में पार्क की स्थापना का प्रथम वर्ष का कार्य प्रगति पर है ।

योजना के लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर– 06 तक 291.09 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.4– लघु वन पदार्थ का उन्नयन :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	प्रजाति	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)		
		सम्पोषण कार्य	**समापन कार्य**	**अग्रिम कार्य**
1089.657	बांस	11025.862	3891.00	4179.67
	सीसल	100.00	50.00	50.00
	तसर	470	150	250
	खैर	1585.00	550.00	450.00
	कुल	**13180.862**	**4641.00**	**4929.67**

उपरोक्त तालिका में वर्णित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध कुल 13180.862 हे० (11025.862 हे० बांस, 100.00 हे० सीसल, 1585.00 हे0 खैर एवं 470 हे0 तसर) वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य, **4641.00** हे० (**3891.00** हे० बांस, 50 हे० सीसल, 150 हे० तसर एवं 550 हे० खैर) में वृक्षारोपण का समापन कार्य एवं **4929.67** हे० (4179.67 हे० बॉस, 50 हे० सीसल, 250 हे0 तसर एवं 450 हे० खैर) में वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रगति पर है । दिसम्बर– 06 तक 499.638 लाख रू० व्यय किया गया है।

10.5– लाह विकास योजना :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	**भौतिक लक्ष्य (हे0 में)**		
	सम्पोषण	समापन	अग्रिम

380.124	1143.72	85.44	1999.56

इस योजना के अन्तर्गत लाह कीट के पोषण के लिये उपयुक्त पौधों, यथा बेर, कुसुम एवं पलास के रोपण से सम्बन्धित कार्य किया जाता है । उपरोक्त तालिका में वर्णित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध 1143.72 हे० में सम्पोषण कार्य, 85.44 हे0 में समापन कार्य एवं 1999.56 हे० में अग्रिम कार्य प्रगति पर है । दिसम्बर– 06 तक 108.472 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.6– भू–संरक्षण एवं वनरोपण :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)		
	सम्पोषण	समापन	अग्रिम
1052.167	3745.78	733.210	4757.670

इस योजनान्तर्गत वृक्षरोपण के साथ भू–क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों में क्षरण रोकने के कार्य किये जाते हैं । योजना के कार्यान्वयन में मिट्टी का कटाव रोकने तथा जल–संरक्षण एवं संचयन के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है । उपरोक्त तालिका में वर्णित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध 3745.78 हे० में सम्पोषण कार्य, 733.210 हे० में समापन कार्य एवं 4757.67 हे० में अग्रिम कार्य प्रगति पर है । दिसम्बर– 06 तक 318.517 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.7– अनुसंधान एवं मूल्यांकन :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)
51.256	बांस वृक्षारोपण का 200 हे० में सम्पोषण कार्य, 77.53 हे0 में समापन कार्य एवं 100 हे० में अग्रिम कार्य तथा 19.50 हे० में रूट ट्रेनर नर्सरी–सह–आर्बोरेटम एवं 20 हे0 में हाईब्रिड फलदार पौधशाला का रख–रखाव ।

इस योजनान्तर्गत बांस वृक्षारोपण का 200 हे० में सम्पोषण कार्य, 77.53 हे0, में समापन कार्य एवं 100.00 हे० क्षेत्र में अग्रिम कार्य तथा 19.50 हे० में रूट ट्रेनर नर्सरी–सह–आर्बोरेटम एवं 20 हे0 में हाईब्रिड फलदार पौधशाला के रख–रखाव का कार्य प्रगति पर है । दिसम्बर– 06 तक 14.603 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.8– वन साधनों का सर्वेक्षण :–

वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)
52.00	रांची में वायोडावर्सिटी पार्क की स्थापना का प्रथम वर्ष का कार्य, बोकारो वन प्रमण्डल में वन साधन सर्वेक्षण का द्वितीय वर्ष का कार्य, रॉची एवं गिरिडीह वन प्रमण्डल में वनों के साधन सर्वेक्षण का प्रथम वर्ष का कार्य ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य की विवरणी उपरोक्त तालिका में दी गई है । वनों के सर्वेक्षण से वनोत्पाद का आकलन, पुनर्जनन की स्थिति, औषधीय पौधों की उपलब्ध्।ता, विभिन्न गोलाई वर्ग में स्थित वृक्षों की संख्या, आदि विषयों पर सूचनाएं संकलित की जाती हैं । दिसम्बर– 06 तक निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध 2.113 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

10.9– वन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण :–

वित्तीय लक्ष्य (रू०लाख में)	भौतिक लक्ष्य
872.211	चालू कार्य– वर्ष्ढ 2005–06 में स्वीकृत रॉची में पदाधिकारियों के लिए 8 फ्लैट के निर्माण कार्य का समापन । नये कार्य– प्रक्षेत्रों में टेलीफोन–241, फोटोकॉपियर मशीन–25, प्रक्षेत्रों के लिए जीप– 20 स्टाफ कार– 8, वन प्रमण्डल पदाधिकारी आवास–5, वन प्रमण्डल कार्यालय–6, वन संरक्षक आवास–3, वन संरक्षक कार्यालय–1, व0 वि0गृह–2, व०क्षे०का०–10, कर्मचारियों के लिए आवास–12 तथा जी0आई0एस0सेल का सुदृढ़ीकरण ।

इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।

10.10– गहन वन विकास कार्यक्रम–ईधन काष्ट चारा परियोजना– इस योजना के अन्तर्गत गैर वन भूमि अर्थात सरकारी परती भूमि (गैर मजरूआ), कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की भूमि, संस्थागत भूमि आदि पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा । इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 में 500.00 लाख रु0 का बजट उपबंध स्वीकृत है । जिससे कुल 2954.22 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य किया जाएगा । इस योजनान्तर्गत अग्रिम कार्य प्रगति पर है ।

10.11– 12वें वित्त आयोग अनुदान– इस योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, आश्रयणियों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में जलछिद्रों का निर्माण तथा जंगलों एवं जंगलों के इर्द–गिर्द रहने वाले ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की सुविधाओं में वृद्धि करने से संबंधित कार्य प्रस्तावित हैं । वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 600.00 लाख का बजट उपबंध स्वीकृत है । कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर 2006 तक 206.73 लाख रु0 व्यय किया जा चुका है ।

10.12– नक्सल प्रभावित सड़कों का उन्नयन – इस योजनान्तर्गत वन पथों की मरम्मति, पुल–पुलिया तथा कॉजवे आदि का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजनान्तर्गत रु0 360.00 लाख रु0 का बजट उपबन्ध स्वीकृत है । इस योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।

10.13– अन्य योजनायें :–

राज्य सेक्टर के अधीन ''वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण,'' ''वन प्रचार एवं जन सम्पर्क,'' ''मूल्यांकन सह योजना कोषांग,'' ''राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम – झारखण्ड सहभागीय वानिकी प्रबन्धन योजना'' विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड सहभागीय वन प्रबंधन परियोजना से सम्बधित योजनाओं में कुल 364.00 लाख रु0 का व्यय प्रस्तावित है । इस वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध कार्य प्रगति पर है । दिसम्बर– 06 तक 29.176 लाख रू० का व्यय किया गया है।

10.14– अन्य उद्यान :–

वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजनान्तर्गत कुल 261.706 लाख रू० का वित्तीय

लक्ष्य है । इस राशि से ब्याघ्र परियोजना पलामू, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, मूटा मगर प्रजनन केन्द्र, बिरसा मृग विहार, कालामाटी तथा हजारीबाग, कोडरमा, गौतम बुद्ध, पालकोट, महुआडांड, पलामू, तोपचांची, लावालौंग एवं दलमा वन्य प्राणी आश्रयणियों में विकास कार्य किया जायेगा । कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर– 06 तक 12.500 लाख रू० व्यय का किया गया है ।

10.15– पलामू ब्याघ्र परियोजना (50:50):–

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना के लिए केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत व्यय वहन करती है । इस योजनान्तर्गत पलामू ब्याघ्र परियोजना के विकास से सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं । इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में 46.588 लाख रू० (राज्यांश) का व्यय प्रस्तावित है । इस वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध कार्य प्रगति पर है।

10.16– भगवान बिरसा जैविक उद्यान (50:50):–

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना के लिए केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत राशि वहन करती है । इस योजनान्तर्गत रांची जिला के ओरमांझी में अवस्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान का विकास कार्य किया जाता है । इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2006–07 में 20.00 लाख रू०(राज्यांश) का व्यय प्रस्तावित है । केन्द्र सरकार से योजना स्वीकृत अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है ।

10.17– समेकित वन सुरक्षा योजना (75:25):–

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है । आधुनिक तकनीक द्वारा अग्नि से वनों की सुरक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में, वित्तीय वर्ष 2005–06 के अव्यहृत राशि को पुर्नविधिमान्य करते हुए 37.467 लाख रू० (राज्यांश) की योजना स्वीकृत है । वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को नये कार्यों के लिए योजना समर्पित की गई है । इस वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध कार्य प्रगति पर है ।

11– शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाऐं (केन्द्रीय योजनागत योजनाएं)

शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत वन्य प्राणी प्रबंधन के लिये भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण राशि उपलब्ध करायी जाती है । राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य प्राणी आश्रयणी, एक जैविक उद्यान, एक मगर प्रजनन केन्द्र एवं एक मृग विहार स्थित है। इन सुरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 2120.48 वर्ग कि0मी0 है, जो राज्य के अधिसूचित वन क्षेत्र का 8.9ः भाग है । वन्य प्राणियों की अद्यतन गणना के अनुसार राज्य में मुख्य वन्य प्राणियों की श्रेणी में 34 बाघ, 164 तेंदुआ, 758 हाथी, 3672 बार्किंग हिरण, 16384 चीतल, 395 गौर, 64685 नीलगाय, 3052 सांभर 1808 भालू एवं 18550 जंगली सूअर हैं ।

केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत वन्य प्राणी आश्रयणियों के विकास एवं वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए वर्ष 2006–07 मे निम्नवत राशि उपलब्ध करायी गयी है :–

11.1– हाथी परियोजना :–

राज्य के 17 वन प्रमण्डलों के 9406 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को हाथी परियोजना के अन्तर्गत लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल 149.00 लाख रू० व्यय करने का प्रस्ताव है, जिसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा 90.42 लाख रू० की राशि राज्य सरकार को विमुक्त किया गया है ।

11.2–वन्य प्राणी आश्रयणियों का विकास :–

इस योजना के अन्तर्गत राज्य की वन्य प्राणी आश्रयणियों के विकास से सम्बन्धित कार्य होते हैं । वित्तीय वर्ष 2006–07 में विभिन्न आश्रयणियों के लिए प्राप्त राशि निम्नवत है :–

पद्ध दलमा आश्रयणी के लिए 26.75 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 18.73 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

पपद्ध पलामू ब्याघ्र परियोजना (अनावर्ती व्यय) के लिए 105.75 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 100.00 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

पपपद्ध हजारीबाग आश्रयणी के लिए 21.0498 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 15.00 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

पअद्ध महुआडांड़ आश्रयणी के लिए 11.00 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 7.70 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

अद्ध तोपचांची आश्रयणी के लिए 5.906 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 3.56 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

अपद्ध कोडरमा आश्रयणी के लिए 19.39 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 13.50 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

अपपद्ध उधवा पक्षी आश्रयणी के लिए 5.682 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 4.00 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

पगद्ध पारसनाथ आश्रयणी के लिए 15.0744 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 7.40 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

गद्ध लावालौंग वन्य प्राणी आश्रयणी के लिए 16.2244 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 11.35 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

गपद्ध गौतम बुद्ध, वन्य प्राणी आश्रयणी के लिए 6.961 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 4.84 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

गपपद्ध पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी के लिए 17.80 लाख रू० स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से 12.46 लाख रू० की राशि प्राप्त हुई है ।

गैर योजना मद

2406–वानिकी और वन्य जीवन (गैर योजना)

वित्तीय वर्ष 2006–07

;पद्ध गैर योजना मद में 2006–07 के लिए 7626.73 लाख रू० का बजट उपबंध उपलब्ध। है तथा इस उपबंध के विरूद्ध जनवरी– 07 तक 5516.14 लाख रू० का व्यय किया गया है ।

(प्प्द्ध स्वीकृत उपबंध में रू० 6607.83 लाख रू० स्थापना व्यय, 828.90 लाख रू० कार्य मद एवं 190.00 लाख रू० वन्य प्राणियों से हुई क्षति के मुआवजे के भुगतान के लिए कर्णांकित है ।

(प्प्द्ध कार्य मद में गैर योजनाधीन 4347 कि0मी0 वन पथ की मरम्मत के लिए 210. 00 लाख रू०, 1880 भवनों के रख–रखाव के लिए 170.00 लाख रू० तथा 448.90 लाख रू० विभिन्न कार्यों, यथा– 2685 हे0 में भू–संरक्षण कार्य, 4900.00 हे0 में वन संबर्धन कार्य, जैविक उद्यान एवं मृग विहार में वन्य जीवों के रख–रखाव एवं भोजन की व्यवस्था आदि के लिये कर्णांकित है ।

(प्प्द्ध पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण :–

विकास की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों में उपयोग होता है । पर्यावरण एवं विकास के बीच संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से वन भूमि के अपयोजन के प्रस्तावों की समीक्षा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् की जाती है और भारत सरकार से वन भूमि के अपयोजन की अनुमति प्राप्त की जाती है ।

राज्य के सृजन के पश्चात अब तक वन भूमि अपयोजन के 114 प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है जिनमें 9582.226 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजनों में उपयोग किया जायेगा । विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए निम्नवत वन भूमि के अपयोजन की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है :–

क्र0 सं0	योजना की प्रकृति	स्टेज– ि		स्टेज– प्प	
		योजना सं0	कुल रकबा हे0 में	योजना सं0	रकबा हे0 में
1	रेलवे परियोजनाएं	08	1422.474	05	943.37
2	कोल इण्डिया की परियोजनाएं	30	3807.774	07	608.284
3	ई 0सी0एल0 की परियोजनाएं	01	3.48	03	107.43
4	अन्य खनन परियोजनाएं	16	782.448	14	377.5748
5	सिंचाई परियोजनाएं	02	64.7936	02	64.7936
6	जल विद्युत परियोजनाएं	01	1.457	03	866.6087
7	ट्रांसमिशन लाईन परियोजनाएं	04	269.147	07	170.5453
8	अन्य परियोजनाएं	08	51.8649	03	40.1812
	कुल :–	**70**	**6403.4385**	**44**	**3178.7876**

वन भूमि के अपयोजन के लिए भारत सरकार दो चरणों–**स्टेज–** एवं **स्टेज–** में स्वीकृति प्रदान करती है । जिन परियोजनाओं में वन भूमि के अपयोजन पर भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो जाती है, किन्तु कुछ विन्दुओं पर अतिरिक्त सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उनमें **स्टेज–** की सहमति दी जाती है । परन्तु **स्टेज–** की सहमति प्राप्त होने के बाद ही वन भूमि पर वास्तविक रूप से गैर वानिकी कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाती है ।

;टद्ध राजकीय ब्यापार संगठन :–

राजकीय ब्यापार संगठन का सृजन वनों के मुख्य वन उत्पाद, यथा प्रकाष्ठ, खैर, बांस आदि के विदोहन के लिए किया गया था । वर्तमान परिपेक्ष्य में वनों का संरक्षण कार्य नियोजनाओं के प्रावधान तथा संयुक्त वन प्रबंधन की नयी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विदोहन हेतु निर्मित किये जाने वाले वन पदार्थ के वृक्षों की संख्या में काफी कमी आयी है। बाँस कूपों के विदोहन का कार्य एक अंतराल के बाद पुनः आरंभ किया गया है । सरकार के निर्णय के पश्चात् वर्ष 2006–07 से बॉस विदोहन का कार्य झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है ।

;टप्द्ध **राजस्व प्राप्ति–**

वर्ष 2005–06 में वन विभाग द्वारा 468.705 लाख रू० का राजस्व प्राप्त किया गया । वर्ष 2006–07 में माह दिसम्बर तक 287.304 लाख रू० का राजस्व प्राप्त हुआ है।